अनुसूची 5

विनियम 5(4) देखें ।

भारत से बाहर निवास कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को छोड़कर अन्य प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय

1. प्रतिभूतियों की खरीद के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति

कोई भी पंजीकृत विदेशी संस्थागत नेवेशक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां / खाााना बिल, किसी भारतीय कंपनी द्वारा ाारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंाररि / बांड और घरेलू पारस्परिक निधियों के यूनिट सीधे ही उनके ाारीकर्ता से अथवा भारत के किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाााार में पंााकृत शेयर दलाल के माध्यम से प्रत्यावर्तनीय आधार पर खरीद सकता है ;

बशर्ते

i) विदेशी संस्थागत निवेशक ईक्विटी तथा ऋण लिखतों (भारतीय पुंजी बाजार में खजाना बिलों तथा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों सहित) के बीच उसके कुल निवेश का अनुपात 70:30 से अधिक नहीं रखेगा, तथा

ii) यदि विदेशी संस्थागत निवेशक खजाना बिलो-सहित सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंचरों / बांडों में शत-प्रतिशत निवेश करना चाहता है तो उसे 100% ऋण निधि सृजित करनी होगी तथा ऐसी निधि को सेबी के पास पंजीकृत कराना होगा ।

2. प्रतिभूतियां खरीदने के लिए अनिवासी भारतीय तथा विदेश स्थित निगमित निकाय को अनुमति

1) कोई अनिवासी भातीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय बिना किसी सीमा के प्रत्यावर्तनीय आधार पर निम्नलिखित की खरीद कर सकता है :

i) सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों (वाहक प्रतिभूतियों को छोड़कर) अथवा खजाना बिलों अथवा घरेलू पारस्परिक निधियों के यूनिट ;

ii) भारत में सार्वानिक क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा जारी किये गये बांड ;

iii) भारत सरकार द्वारा विनिवेशित किये जा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर, बशर्तें ऐसी खरीद बोली आमंत्रित करनेवाले नोटिस में निर्धारित शर्तों के अनुसार की गई हो ।

2) कोई भी अनिवासी भारतीय अथवा निदेश स्थित निगमित निकाय सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां (वाहक प्रतिभूतियों को छोड़कर) खजाना बिल, घरेलू पारस्परिक निधियों के यूनिट , भारत स्थित मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों के यूनिट अथवा राष्ट्रीय योजना / बचत प्रमाणपत्र बिना किसी सीमा के खरीद सकता है ।

3. क्रय-प्रतिफल के भुगतान का तरीका

1) इस अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतियां खरीदने वाला कोई पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भुगतान या तो सामान्य-बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण में से अथवा अनुसूची 2 के पैरा 2 के अनुसार रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से किसी प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा में विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा खाोले गये विदेशी मुद्रा खाते अथवा अनिवासी रूपया खाते में धारित निधियें में से करेगा ।

2) इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर प्रतिभूतियों की खरीद करनेवाला अनिवासी भारतीय अथवा निदेश स्थित निगमित निकाय या तो सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण द्वारा या अपने एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/ एनआरएनआर /एनआरएसआर खातें में धारित निधियों में से भुगतान करेगा ।

3) इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (2) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर प्रतिभूतियों की खरीद करनेवाला अनिवासी भारतीय अथवा निदेश स्थित निगमित निकाय भुगतान या तो सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण द्वारा या अपने एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/एनआरएनआर /एनआरएसआर खातें में धारित निधियों में से भुगतान करेगा ।

4. प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए अनुमति

इस अनुसूची के अनुसार प्रतिभूतियां खरीदने वाला भारत से बाहर निवास कर रहा कोई व्यक्ति (क) किसी मान्यताप्राप्त शेयर दलाल के माध्यम से ऐसी प्रतिभूतियां बेच सकता है , अथवा (ख) पारस्परिक निधियों के यूनिट पुनर्खरीद अथवा परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए जारीकर्ता को प्रस्तुत कर सकता है अथवा (ग) परिपक्वता राशियें के भुगतान के लिए सरकारी प्रतिभूतियां खजाना बिल रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत कर सकता हैं ।

5. बिक्री से / परिपक्वता पर प्राप्त राशियों का विप्रेषण /जमा करना

i) पैरा 4 के अनुसार प्रतिभूतियां बेचनेवाले पंाकृत विदेशी संस्थागत निवेशक के मामले में पैरा 3 के उप-पैरा (1) में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी की निर्दिष्ट शाखा बिक्री / परिपक्वता की निवल राशियों (कर चुकाने के बाद) के प्रेषण की अनुमति दे सकती है अथवा अनुसूिं 2 के पैरा 2 के उपबंधों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा खोले गये विदेशी मुद्रा खाते अथवा अनिवासी रूपया खाते में ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय / परिपक्वता की निवल राशि को जमा करने की अनुमति दे सकती है ।

ii) पैरा 4 के अनुसार प्रतिभूतियों का विक्रय करनेवाले अनिवासी भारतीय अथवा ं विदेश स्थित निगमित निकाय के मामले में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री /परिपक्वता की निवल राशि (कर चुकाने के बाद) -

क) ऐसी स्थिति में अनिवासी निवेशक के एनआरएसआर खाते में ही जमा किया जा सकता हैं जहां बेची गई प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भुगतान एनआरएसआर खाते में धारित निधियों में से किया गया हो , अथवा

ख) जहां बेिं गई प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भुगतान एनआरओ खाते में से किया गया था, वहां अनिवासी भारतीय अथवा विदेश स्थित निगमित निकाय के विकल्प पर उसके एनआरओ अथवा एनआरएसआर खाते में जमा की जा सकती है , अथवा

ग) जाहां प्रतिभूतियों की खरीद पैरा 2 के अनुसार उन-पैरा (1) के अनुसार प्रत्यावर्तन के आधार पर की गई हो तथा बेची गई प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भुगतान एनआरई / एफसीएनआर खाते में धारित निधियों में से अथवा सामान्य बैंटिकंग माध्यमों के जरिये आवक विप्रेषण से किया गया हो , वहां उक्त राशि के विदेश विप्रेषण अथवा अनिवासी भारतीय अथवा विदेश दिस्थत निगमित निकाय के विकल्प पर उसके एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ/एनआरएनआर /एनआरएसआर खातें में जमा की जा सकती है ,